RAJKAS-11672

11672

2469/3 7.11.24

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "HAPPY GREEN'S"

IN KHASRA NO.- 1005/765, 1007/765.
AT VILLAGE :- BEGAS, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

दिशा सूचक

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्वाच स्थिति :-
1 कुल आवासीय भूखण्ड = 102
2 कुल/या व्यवसायिक भूखण्ड = 501

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	11167.85	56.97 %
2	INFORMAL COMM.	352.07	01.80 %
TOTAL = (1+2)		11519.92	58.77 %
3	PARK	980.47	05.00 %
4	S.W.M.	50.04	0.26 %
5	MOBILE TOWER	20.04	0.10 %
6	ROAD	7031.53	35.87 %
TOTAL = (3 TO 6)		8082.08	41.23 %
SCHEME AREA		19602.00	100.00 %
		01.9602 HECT.	

योजना की भूमी को रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना का पूरा भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार — नाम उपयुक्त जोन–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक को अनुमोदन में योजना मानचित्र स्वीकृत रूप जारी किया गया।

योजना का नाम:- PROPOSED LAY OUT PLAN OF "HAPPY GREEN'S" IN KHASRA NO.- 1005/765, 1007/765, AT VILLAGE :- BEGAS, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

जोन संख्या = 12

पैमाना :- 1:600

सहायक नगर नियोजक	अति. सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :- Cad Max PROJECTS (P) LTD.
301, Prism Tower, Near Police Headquarters, Jaipur Tonk Road, Jaipur (Raj.) 302015
Tel. : 0141-4121111, Mob. : +91-9829045031
Website: www.cadmaxpro.com, email: info@cadmaxpro.com

नोट: योजना में एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों की लीगडीड एल.टी. लाईन शिफ्ट होने के पश्चात ही आवंटी को जाने की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावेगी।

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है

अमीन जोन–12

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 22.08.2024 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1 से 13, 15, 16 कुल भूखण्ड 15 कुल क्षेत्रफल 1465.40 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 368 वीं बैठक दिनांक 26.09.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत आवासीय व ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जेडीपी 16 के अनुसार ग्रामीण है।
7. इनफॉर्मल कॉन्सर्वियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ–वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया हैं।

सहायक नगर नियोजक जोन–12	तहसीलदार जोन–12	उपयुक्त जोन–12	वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031